

By Registered Post A D

सहाय्यक भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

'अभिनय' थिएटर के पास जाफरगेट मोन्डा, औरंगाबाद-४३१००१.

OFFICE OF THE ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Near Abhinay Cinema. Jafar Gate, Mondha, Aurangabad - 431 001.

सं./महा/भ.नि./प्रयोज्यता

No. MH/PEAPP/80392/PF/APP/SRD/AUR/94/25

दिनांक

Date ; 4th May, 199

सेवा मे

To

The Proprietor,

M/s. Monika Services,

At Rajnangaon (Shenpunji) Post Ghanegaon,

Via - Aurangabad Cant. 2, Dist. Aurangabad.

विषय :- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना-इसकी प्रयोज्यता-संकेत संख्या का आवंटन।

Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder—applicability thereof—Allotment of code number.

महोदय,

Sirs,

1. आपकी फॅक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाएँ और विभागों के साथ दि. _____ से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है कि :-

1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from 31st July, 1994 (31.07.1993). The information made available reveals that—

(1) आपकी फॅक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग _____ का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होना है।

(i) Your factory is engaged in _____ one of the Industries specified in Schedule I to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

2. आपकी स्थापना _____ के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अधिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।

(ii) Yours is an establishment classified as _____ Expert Services to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.

3. आपकी फॅक्ट्री/स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है। अतः आपकी स्थापना को अ-सूचिवद्ध माना गया है।

(1-क) जांच पडताल/उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्त तत्कालिक स्वरूप की है, लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।

(1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

(1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छिक रूप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं. _____ दि. _____ के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा श्रद्ध अधिकार का प्रयोग करते हुअे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तत्कालिक रूप से दि. _____ से, व्याप्ती करके उसके लिए एम्एच/ _____ यह संकेत संख्या नियत की गई है।

(1-ग) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छिक रूप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं. _____ दि. _____ के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा श्रद्ध अधिकार का प्रयोग करते हुअे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तत्कालिक रूप से दि. _____ से, व्याप्ती करके उसके लिए एम्एच/ _____ यह संकेत संख्या नियत की गई है।

(1-B) With reference to your application No. _____ Dated _____ received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under section 1 (4) of the Act on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/ _____ provisionally covering your establishment with effect from _____ pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.



13. यह सुनिश्चित किया जाए कि निधि की देय राशी निर्धारित समय में भरनी है। विलंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 14-बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी।

13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

14. इसके अतिरिक्त देयता की अदेनगी तथा विवरणियों की अ-प्रस्तुति के लिए अभियोग भी लगाया जाएगा।

14. Besides, Prosecution could also lie for non-payment of dues and for non-submission of returns.

15. इस कार्यालय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है की उन्हें आवश्यक सहयोग दे। तथापि, अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य निधि निरीक्षक को लिख सकते हैं।

15. An Inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you may please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

16. Previous Provident Fund accumulations if any should be transferred in the form of cash within 10 days or in the form of securities within 30 days. श्री/श्रीमती

भविष्य निधि निरीक्षक

17. All belated remittances attract damages under Section 14B of the Act.

भवदीय,


क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
महाराष्ट्र तथा गोवा.

Provident Fund Inspector

SHRI .N.S.MARGAJ,
EO, SRO, AURANGABAD.

Please acknowledge receipt of this communication.

Yours faithfully,


Regional Provident Fund Commissioner,
Maharashtra and Goa.
Assistant Provident Fund Commissioner
Officer-In-Charge
Aurangabad.

Hemant*/-